राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक– एफ 2 (ग) पीएफ/(बी–251)/अलेसे–I/2879-80 दिनांक– 19.12.2012

कार्यालय आदेश संख्या 243/2012–13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14 (88) एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री भीखाराम हटीला, सहायक लेखाधिकारी जिनकी जन्मतिथि 15.05.1953 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर आपातकालीन परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 12.08.1985 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 27 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली हैं, को दिनांक 12.08.2012 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय एसीपी पी.बी.–2, 9300–34800 पे–बैण्ड एवं रूपये 4800 ग्रेड पे मे स्वीकृत किया जाता है।

श्री भीखाराम हटीला, सहायक लेखाधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश कमाक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 मे दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए. सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी के वाछित वार्षिक कार्यमूल्याकन प्रतिवेदन प्राप्त नही होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प2 (17) वित्त/राजस्व/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री भीखाराम हटीला, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी एसीपी स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/– प्राप्त कर रहे है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि इन्हे कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वेतन नियतन किये जाने पर 26ए के तहत लाभ नहीं दिया गया था।

निदेशक

क्रमांकः– एफ 2 (ग) पीएफ/(बी–251)/अलेसे–I/2879-80 दिनांक– 19.12.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उपवित्तीय सलाहकार राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल, जयपुर।
2. श्री भीखाराम हटीला, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल, बीकानेर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–1)